JALAUN POLICE

दिनांक – 17.11.2026

थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर अभियुक्तों को चोरी के जेवरात, नकदी, अवैध तमंचे एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2026 को वादी श्री कृष्ण यादव द्वारा थाना रामपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से व गांव के ही रामवीर पाल के घर से जेवरात व 05-10 हजार रूपये चोरी कर लिये हैं। जिसके संबन्ध में थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईशान सोनी के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण को चोरी के जेवरात, नकदी, अवैध तमंचे एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है।

चोरी के माल की बरामदगी के संबन्ध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं अवैध तमंचे की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 112/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. आशीष सोनी पुत्र स्व0 राजकुमार सोनी उम्र करीब 37 वर्ष निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।
2. फिरोज पुत्र मेंहदी हसन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मोहल्ला रामकुण्ड कोतवाली उरई जनपद जालौन।
3. आशू उर्फ प्रिन्स पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सैदपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन उम्र करीब 27 वर्ष।
4. वीर सिंह उर्फ लला पुत्र जगन्नाथ सिंह राजावत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सुरपतिपुरा थाना माधौगढ़ जनपद जालौन।

अभियुक्त आशीष सोनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 56/2022 धारा 201 302, 392, 411 बीएनएस थाना एट जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0- 71/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना एट जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना रामपुरा जनपद जालौन

अभियुक्त फिरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 1127/2012 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0- 1400/2011 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन

3. मु0अ0सं0- 59/2007 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0- 75/2007 धारा 307 भादवि व 12/14 UPD Act थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0- 76/2007 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0- 156/2008 धारा 457, 380 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
7. मु0अ0सं0- 206/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
8. मु0अ0सं0- 1642/2006 धारा 457, 380 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
9. मु0अ0सं0- 1768/2008 धारा 457, 380 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
10. मु0अ0सं0- 1805/2008 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
11. मु0अ0सं0- 2177/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन
12. मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना रामपुरा जनपद जालौन
13. मु0अ0सं0 112/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुरा जनपद जालौन

अभियुक्त आशू उर्फ प्रिन्स उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 35/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चुखी जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0- 138/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना जालौन जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0- 232/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कुठौन्द जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0- 142/2022 धारा 392, 411 भादवि थाना कुठौन्द जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0- 146/2022 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कुठौन्द जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0- 221/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कुठौन्द जनपद जालौन
7. मु0अ0सं0- 228/2023 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना माधौगढ़ जनपद जालौन
8. मु0अ0सं0- 231/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं 307, 34, 401 भादवि माधौगढ़ रामपुरा जनपद जालौन
9. मु0अ0सं0- 126/2023 धारा 401 भादवि थाना रामपुरा जनपद जालौन
10. मु0अ0सं0- 127/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुरा जनपद जालौन
11. मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना रामपुरा जनपद जालौन
12. मु0अ0सं0 112/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुरा जनपद जालौन

अभियुक्त वीर सिंह उर्फ लला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 237/2024 धारा 379, 411 बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0-165/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना रामपुरा जनपद जालौन

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्तगण द्वारा आपस में संगठित होकर रात्रि के समय सुनसान स्थानों एवं बंद मकानों/प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता है। अभियुक्तगण चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए लोहे के कटर, प्लास, पेचकश, सब्बल एवं लोहे की रॉड आदि उपकरणों का प्रयोग कर ताला तोड़कर मकान/प्रतिष्ठान के अन्दर प्रवेश करते हैं तथा वहां रखे कीमती

जेवरात एवं नकदी चोरी कर लेते हैं। अभियुक्तगण आवागमन एवं चोरी के माल को ले जाने हेतु वाहन का प्रयोग करते हैं।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी से सम्बन्धित जेवरात (पीली धातु के 01 मंगलसूत्र, 01 ओम, 01 नाक की कील सफेद धातु के 02 जोड़ी पायल, 01 कर्धनी, 14 जोड़ी बिछिया)
2. 02 अदद अवैध तमंचे 315 बोर
3. 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. ₹22,700/- नगद
5. घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का कटर, 01 अदद लोहे का प्लास, 02 अदद लोहे के पेचकश, 01 अदद लोहे का सब्बल एवं 01 अदद ताला तोड़ने वाली लोहे की रॉड
6. 02 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन
7. 01 अदद कार मारुति सुजुकी सियाज, रंग काला, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP92AA8555 (धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज)

पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष रामपुरा श्री कृष्ण पाल सरोज मय पुलिस टीम